

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

नवान बीबी उर्फ सरजीत कौर बनाम गुरदेव सिंह आदि

करण संख्या 128 / 2022 अन्तर्गत धारा 53, 188 RTA

| दिनांक | आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज | नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए |
|--------|-----------------------------------|---|
|--------|-----------------------------------|---|

30⁰¹/₂₃

आपू यह पत्रावली वादिया के द्वारा प्राथना पत्र पेश करने पर पेशी में ली गयी प्राथना पत्र में विवेक किया कि वादी का प्रतिवादीगुण के साथ राष्नीगामा हो गया है। वादपत्र को आपू की पेशी में लिया जाकर मौजूदा स्टैज पर खारिज फरमाया जावे। वादिया की परधान उनके अधिवक्ता के द्वारा की गई। वादिया व वादिया अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादिया द्वारा वादपत्र नोटप्रेस करने पर वादिया का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली गिणीति होकर नम्बर से कम लेकर वापिस लफुतर हो।

Not Press

R.T.1 बीबी उर्फ सरजीत कौर



Signature

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

